निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1936 (श0)
(सं0 पटना 510) पटना, वृहस्पतिवार, 19 जून 2014

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना
11 जून 2014

सं0 सं0का0–1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)–05–02/2011(पार्ट)–625—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
   (2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन। – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25000 (पचीस हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30000 (तीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन। – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25000 (पचीस हजार) रूपये" अंक शब्द एवं कोष्ठक "45000 (पैतालीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगे।
4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन। – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "8,00,000 (आठ लाख) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,00,000 (दस लाख) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन। – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "5000 (पाँच हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "6000 (छः हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन। – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15000 (पन्द्रह हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "20000 (बीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9(1) में संशोधन। – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 के उप–नियम (1) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1000 (एक हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000 (दो हजार) रूपये" द्वारा एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000 (दो हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2500 (दो हजार पाँच सौ) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन। – उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17 के उप–नियम (1) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15000 (पन्द्रह हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25000 (पच्चीस हजार) रूपये" द्वारा एवं छठी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1000 (एक हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000 (दो हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 510-571+1000-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in